न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-9ए/2010/भीलवाड़ा (2010/00011)

1. रोशनअली पुत्र सुलेमान सोरगर
2. बाबू मोहम्मद पुत्र सुलेमान सोरगर
   निवासी करेडा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजू पुत्र अमदचन्द्र जाति माली,
2. मु0 सविता पत्नी अमरचन्द्र जाति माली,
   निवासी करेडा, तह0 माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।
3. अतिरिक्त तहसीलदार, करेडा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोर्डेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा दिनांक 22.12.2009 अपील संख्या 15/2005.

उपस्थितः-

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पोर्डेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः- 26.11.2019

अपीलांटस ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, माण्डल, जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.12.2009 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा करेडा, तहसील माण्डल जिला भीलवाडा में अवस्थित आराजी ख0नं0 4810 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, ख0नं0 8316/4921 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा जो पैमा पिता माना बागडी (अनु0 जाति) के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन थी। करीब 35 वर्ष पूर्व उक्त आराजीयात को पेमा पिता माना बागडी से अपीलांटस के पिता ने विक्रय पत्र से खरीद किया तभी से अपीलांटस के पिता के जीवनकाल में अपीलांटस के पिता का

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

कब्जा काश्त रहा तथा अपीलांट्स के पिता के देहान्त के बाद अपीलांट्स काविज होकर काश्त करते आ रहे है। xx

2- रेस्पो0 सं0 1 व 2 जो कि मोजा करेडा के अमरचन्द्र बागडी (माली) के पुत्र व पत्नी है ने पटवारी हल्का से मिलकर षडयंत्र रचकर एक शपथ पत्र तैयार कर अपने आपको मृतक पेमा पिता माना बागडी का पुत्र व पत्नी होना कथन कर राजस्व अभियान के दौरान प्रस्तुत किया। उप तहसीलदार, करेडा ने शपथ पत्र पर बिना जांच किये पटवारी हल्का के कथनों पर विश्वास कर शपथ को सही मानते हुए विवादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण संख्या 1331 दिनांक 20.08.2005 को रेस्पो0सं0 1 व 2 के नाम रेस्पो0 सं0 1 को पेमा का पुत्र व रेस्पो0ं0 2 को पेमा की पत्नी मानकर अंकित कर स्वीकार कर लिया। xx

3- अीलांट्स को नामान्तरकरण संख्या 1331 दिनांक 20.08.2005 की जानकारी होने पर अपीलांट्स ने उपखण्ड अधिकारी, मालपुर जिला भीलवाडा के यहां धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र सहित अपील प्रस्तुत की जो उपखण्ड अधिकारी ने प्रस्तुत दस्तावेजात को नजर अन्दाज कर अपने निर्णय दिनांक 22.12.2009 से अपील को मियाद वाहर मानकर व गुणावगुण पर निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने तथा रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय वहस सुनी गई । xx

5- अपीलान्ट् के विद्वान अभिभाषक ने दौराने वहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधि0न्याया0 ने अपील को मियाद के विन्दु पर निरस्त कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया हे। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र से साबित था कि नामान्तरकरण संख्या 1331 दिनांक 20.08.2005 अपीलांट्स को विना सुने नोटिस दिये व विना कब्जे की जांच किये राजस्व अभ्यिान के दौरान स्वीकार किया गया। राजस्व अभियान के दौरान रेस्पो0सं0 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने से अपीलांट्स को आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। जानकारी होते ही अपीलांट्स ने अपील प्रस्तुत की है, ऐसी स्थिति में मियाद के विन्दु पर अपील को निरस्त नहीं किया जा सकता। विलम्ब को क्षमा किये जाने के सद्भाविक कारण होते हुए मियाद के विन्दु पर अपील को निरस्त कर भारी त्रुटि की है। xx

अधि0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब अपील को मियाद के विन्दु पर निरस्त कर दिया था तो गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का अधिकार नहीं था। गुणावगुण पर अपील को निर्णित किये जाने से एक प्रकार से अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जायेगी। अधि0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण विन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0सं0 1 राजू मृतक पैमा पिता माना बागडी का पुत्र एवं ना ही रेस्पो0सं0 पेमा पिता माना बागडी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

की अपने आपको दस्तावेजी साक्ष्य से पत्नी सिद्ध कर पायी थी। अधि0न्याया0 रेस्पो0सं0 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सभी दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअन्दाज कर अपील को निर्णित किया है, जो निर्णय अवैधानिक व पूर्णतया क्षेत्राधिकार के बाहर है। रेस्पो सं0 1 व 2 का विवादग्रस्त नामान्तकरण में लिप्त आराजीयात पर कब्जा नहीं होने से कब्जे रहित रेस्पो0 के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता था। समस्त कार्यवाही राजस्व अभियान के दौराने रेस्पो0 सं0 2 के शपथ पत्र के आधार पर की गई है, जो जल्दबाजी में बिना जांच किये ही आनन-फानन में की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

7- अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अधि0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा रेस्पो0सं0 1 व 2 के अमरचन्द्र के पुत्र व पत्नी होने बाबत साक्ष्य प्रस्तुत किये व सभी सरकारी दस्तावेज होने से उन पर संदेह नहीं किया जा सकता व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त कर प्रकरण में जांच कर निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार को लौटा देना चाहिए था लेकिन अधि0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअन्दाज कर सरसरी व कयासी आधारों पर अपील को निरस्त कर दिया। अपील के खण्डन में अधि0न्याया0 के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं थे तो अधि0न्याया0 को दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का अधिकार अधि0न्याया0 को नहीं था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 22.12.2009 को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपी0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0एल0डब्ल्यू0 1997 (1) पेज 227 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये ।

8- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 1331 दिनांक 20.08.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील को मियाद बाहर होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं गुणावगुण पर अपील खारिज की है । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधि0न्याया0 (उपखण्ड अधिकारी, माण्डल) अपीलांट अपील को प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के आधार पर खारिज कर देते है तो उन्हें गुणावगुण पर निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिये। अपील में अपीलांट अभिभाषक द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आर0एल0डब्ल्यू0 1997 (1) पेज 227 पर एस0बी0 सिविल रिट पीटिशन नं0 1355/1988 उनवान अब्दुल मजिद बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 08.01.1997 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नांकित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :- "परिसीमा अधिनियम - अपील प्रस्तुत करने में दो माह का विलंब - परिसीमा के और गुणा व गुण के आधार पर अपीली

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकरण ने अपील को निर्णित कर खारिज कर दिया - यह निर्णय राजस्व मंडल ने यथावत रखा - अभिनिर्धारित - यदि अपीली अधिकरण को संतुष्टि नहीं हुई तो परिसीमा के बिन्दु पर अपील खारिज कर देनी थी - यदि गुणा व गुण पर अपील का निर्णय देना था तो विलम्ब का शमन करना था और फिर गुणा व गुण पर निर्णय देना था - राजस्व मण्डल का आदेश निरस्त किया।"

9- उक्त न्यायिक दृष्टांत से हम सहमत है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधि0न्याया (उपखण्ड अधिकारी, माण्डल) का निर्णय दिनांक 22.12.2009 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधि0न्याया (उपखण्ड अधिकारी, माण्डल) इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्षकारान को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाकर पहले प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय करें एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने की स्थिति में तत्पश्चात गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

-:क्रियात्मक आदेश:-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 9ए/2010 (2010/00011) बउनवानी रोशनअली व अन्य बनाम राजू व अन्य को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 15/2005 बउनवान में पारित निर्णय दिनांक 22.12.2009 को अपास्त किया जाकर निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के कम में प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उभयपक्षकारान को पुनः सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिया जाकर पहले प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निर्णय करें एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाने की स्थिति में तत्पश्चात गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2019.11.26 11:59:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: